5/11/19 पत्रावली प्रस्तुत की गई। वकील वादी एवं प्रतिवादी सं०-1 ता 3 उपस्थित। वकील प्रतिवादी संख्या-1 ता 3 ने प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 151 सि०प्र० सं० का जवाब प्रस्तुत न कर सीधे बहस करने की अनुमति चाही गई। न्यायालय के द्वारा अनुमति दी गई।

वकील उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। न्यायालय की राय में वादीगण के अधिकारों की घोषणा से पूर्व कथित वसीयतों की वैधता का निर्धारण माननीय सिविल न्यायालय द्वारा किया जाना विचारित वाद के निर्धारण के लिए आधारभूत है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2020.12.19 13:43:56 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

फर्द अहकाम

...ब हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
	अतः वादी पक्ष का प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी. पी. सी. स्वीकार किया जाता है। तथा यह विचारित वाद संबद्ध सिविल न्यायालय में कथित वसीयतों की वैधता के निर्धारण संबंधी वाद के निर्णीत होने तक स्थगित किया जाता है। (पवन कुमार) उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़	

Signature Not Verified

Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2020.12.19 13:43:56 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner